

प्रपत्र क्र. –

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

प्रशिक्षण, अनुसंधान/अध्ययन एवं सर्वे क्रियान्वयन हेतु संस्थानों/एजेन्सियों की सूचीबद्धता हेतु

EOI NO. 03 Date 31.03.2022



म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी)

वाल्मी हिल्स, कलियासोत बांध, कोलार रोड,
पो. बॉ. 538, रविशंकर नगर पो. ऑ., भोपाल – 462016

म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान

वाल्मी हिल्स, कलियासोत बांध, कोलार रोड,
पो. बॉ. 538, रविशंकर नगर पो. ऑ., भोपाल – 462016
दूरभाष – 0755-2710325 ई-मेल : mpwalmi@gmail.com

क्र. वाल्मी/डब्ल्यू-13/EOI/2021-22/

दिनांक 31.03.2022

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

प्रशिक्षण, अनुसंधान/अध्ययन एवं सर्वे क्रियान्वयन हेतु संस्थानों/एजेन्सियों की सूचीबद्धता हेतु
EOI No. 03 Date 31.03.2022

म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा “प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान एवं सर्वे क्रियान्वयन” हेतु संस्थानों/एजेन्सियों की सूचीबद्धता हेतु ऑनलाईन अभिरुचि प्रस्ताव दिनांक 13.04.2022 समय 05:00 अपरान्ह तक mpwalmi@gmail.com पर आमंत्रित किये जाते हैं। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाइट www.mpwalmi.org पर देखा जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष क्र. 0755-2710325 अथवा Email ID - mpwalmi@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

संचालक
वाल्मी, भोपाल

अभिरूचि प्रस्ताव प्रपत्र

1. **विवरण :-**

म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), वाल्मी हिल्स, कलियासोत बांध, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) की स्थापना वर्ष 1985 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयाकट विभाग अंतर्गत की गई थी। संस्थान को “मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973” के तहत एक स्वशासी सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। वर्ष 1998 से संस्थान मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। वाल्मी का उद्देश्य विभिन्न विभागों, एजेन्सियों एवं हितग्राहियों को मुख्यतः जल एवं भूमि प्रबंध के क्षेत्र में प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, सलाहकारिता सेवाएं, कौशल्य विकास के माध्यम से मानव संसाधन विकास एवं परियोजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन व प्रभाव अध्ययन हेतु अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना है। म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान राज्य का एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। संस्थान अपनी प्रमुख गतिविधियों प्रशिक्षण हेतु विभिन्न हितग्राहियों जिनमें शासकीय विभाग, सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों के संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और समूहों एवं जनमानस सम्मिलित है, का प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और अध्ययन यात्राओं के माध्यम से मानव संसाधन विकास करता है।

2. **कार्य का विवरण :-**

इस अभिरूचि आमंत्रण का उद्देश्य प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान एवं सर्वेकार्य क्रियान्वित करने में पात्र संगठनों/एजेन्सियों की भागीदारी की संभावनाएं ज्ञात करना है। वाल्मी इस अभिरूचि आमंत्रण के माध्यम से प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान एवं सर्वे सेवा प्रदाता को संस्थान के लिये आवंटित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सूचीबद्ध प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

3. पात्रता :-

अभिरुचि प्रस्ताव केवल प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे। संस्थाओं की पात्रता निम्नानुसार होगी।

आवश्यक योग्यताएं

- 3.1 संस्था का कार्य करने का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
- 3.2 संस्था द्वारा म. प्र. में न्यूनतम 10 जिलों में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है।
- 3.3 संस्था के रिसोर्स पर्सन के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र आवश्यक है। (रिसोर्स पर्सन की सूची संलग्न करें)
- 3.4 संस्था का पिछले 03 वर्षों का औसत टर्न ओवर एक करोड़ रुपये होना चाहिये।
- 3.5 संस्था किसी भी शासकीय या अर्धशासकीय विभाग से ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिये।
- 3.6 यदि इच्छुक संस्था द्वारा प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान/अध्ययन एवं सर्वे क्रियान्वयन (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वच्छता, स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, आई.ई.सी. गतिविधियां, रिपोर्ट लेखन) आयोजित करने के कार्य शासकीय विभागों/सी.एस.आर. गतिविधियां हेतु किये गये हों, तो उस संस्था को सूचीबद्धता में वरीयता दी जायेगी। इस हेतु संस्था द्वारा संबंधित कार्यादेश तथा उनकी पूर्ति एवं विभाग का कार्य संतुष्टि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 3.7 संस्था के स्वयं के पास अथवा अनुबंध मे रूप में विगत दो वर्षों से ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. पंजीयन नम्बर होना आवश्यक होगा।
- 3.8 संस्था मध्यप्रदेश में न्यूनतम 05 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिये एवं मध्यप्रदेश में कार्य करने का अनुभव भी न्यूनतम 05 वर्ष का होना चाहिये। यदि संस्था मध्यप्रदेश में पंजीकृत नहीं है, तो संस्था का परिशिष्ट-1 में क्र. 5 पर अंकित अंको की गणना नहीं की जायेगी।
- 3.9 संस्था के पास स्वयं की/किराये की प्रशिक्षण अधोसंरचना उपलब्ध होना चाहिये, जिसमें दृश्य-श्रव्य उपकरणों सहित प्रशिक्षण प्रदाय करने की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो।

- 3.10 कनफिलक्ट ऑफ इंटररेटस्ट : संस्था का कोई भी सदस्य या संस्था के सदस्य का कोई भी सम्बंधी वाल्मी से संबंधित, असेसमेंट या एजेंसी या मॉनिटरिंग बॉडी में किसी भी तरह कार्यरत अथवा सहयोगी नहीं होना चाहिये।
- 3.11 संस्था आयकरदाता होनी चाहिये।
- 3.12 यदि संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी विषय में कार्य किया गया हो तो उसे विशेष वरीयता दी जायेगी।
- 3.13 संस्था का विगत 03 वर्षों में 25000 से अधिक प्रशिक्षणार्थी मानव दिवस का अनुभव होना आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वच्छता, स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, आई.ई.सी. गतिविधियां, रिपोर्ट लेखन, को सूचीबद्धता में वरीयता दी जायेगी।
- 3.14 दो संस्थाओं द्वारा टर्न ओवर, प्रशिक्षण, अनुसंधान/अध्ययन एवं सर्वे आदि कार्यों में सहयोगी संस्था के रूप में संयुक्त रूप से एक संस्था के नाम से अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु ऐसी दशाओं में अन्य आवश्यक योग्यताओं की पूर्ति आवेदन प्रस्तुत करने वाली संस्था हेतु आवश्यक है।

4. अभिरुचि प्रपत्रों का जमा किया जाना :-

इच्छुक संस्था द्वारा अपना अभिरुचि प्रस्ताव रु. 5,00,000/- (शब्दों में पांच लाख रु. मात्र) की धरोहर राशि (ऑनलाईन) के साथ जमा किया जाना आवश्यक है। संस्थान की वेबसाईट <https://webfront.payu.in/webfront/#/merchantinfo/madhya-pradesh-water-and-land-management-institute-bhopal/3035> पर पेमेंट लिंक पर जाकर धरोहर राशि जमा की जा सकती है। धरोहर राशि के बिना प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि की भुगतान रसीद एवं तकनीकी प्रस्ताव को दो पृथक लिफाफों में सील बंद करने के उपरांत दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील बंद कर नियत दिनांक एवं समय तक अथवा समय से पूर्व संस्थान कार्यालय में जमा किया जावें। उपरोक्तानुसार प्रत्येक लिफाफे पर प्रस्तुतकर्ता संस्था का नाम, पता एवं अंदर रखे लिफाफे का विवरण अंकित होना चाहिये। निर्धारित

दिनांक एवं समय के उपरांत जमा किये गये प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अपात्र संस्थाओं की धरोहर राशि पूर्ण प्रक्रिया उपरांत वापिस की जायेगी।

5. प्रस्ताव प्रोसेसिंग एवं मूल्यांकन शुल्क :-

प्रत्येक प्रस्ताव के साथ रु. 10,000/- प्रोसेसिंग एवं मूल्यांकन शुल्क (ऑनलाईन) के साथ जमा किया जाना आवश्यक है। संस्थान की वेबसाइट <https://webfront.payu.in/webfront/#/merchantinfo/madhya-pradesh-water-and-land-management-institute-bhopal/3035> पर पेमेंट लिंक पर जाकर प्रोसेसिंग एवं मूल्यांकन शुल्क जमा की जा सकती है। प्रोसेसिंग एवं मूल्यांकन शुल्क के बिना प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क भुगतान के बिना किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। यह शुल्क नॉन रिफण्डेबल होगा।

5.1 प्रस्ताव खोलने की प्रक्रिया :-

संस्थाओं से प्राप्त सील बंद प्रस्ताव **संचालक, म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), कलियासोत डैम, कोलार रोड़, भोपाल** के कार्यालय में संचालक वाल्मी द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष खोले जाएंगे, जिसमें संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। प्रस्तावों को खोलने की प्रक्रिया में निम्नानुसार क्रम अपनाया जावेगा :

- अ. प्रोसेसिंग एवं मूल्यांकन शुल्क
- ब. धरोहर राशि
- स. अभिरुचि प्रस्ताव

अभिरुचि प्रस्तावों को खोला जाकर तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण तथा मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षण तथा मूल्यांकन का आधार अभिरुचि प्रस्ताव पत्रक के बिंदु क्रमांक 3 में दर्शाई गई पात्रताओं की पूर्ति अनुसार होगा, जिसकी तालिका परिशिष्ट-1 में दी गई है। मूल्यांकन प्रक्रिया में कुल 100 अंकों में से न्यूनतम 65 अंक प्राप्त करने वाली संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जावेगा।

5.2 प्रस्ताव की शर्तें :-

उपरोक्तानुसार सूचीबद्ध संस्था को कार्य आवंटित करने की दशा में संबंधित कार्य की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

5.3 सूचीबद्धता निरस्ती :-

सूचीबद्धता की शर्तों अनुसार कार्य न किए जाने की स्थिति में सूचीबद्धता निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

5.4 व्याख्या :-

अभिरुचि प्रस्ताव की किसी भी कंडिका की व्याख्या का अधिकार संचालक, म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल को होगा।

5.5 विवादों का निपटारा :-

मतभेद या वाद-विवाद की स्थिति, यदि कोई हो, में संचालक, वाल्मी, भोपाल का निर्णय दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

6. संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेखों को सत्यापन करवा कर संलग्न करना अनिवार्य है।
7. बिना कोई कारण बताए संस्थाओं की सूचीबद्धता निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार संचालक, म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल को होगा।
8. किसी भी संस्था का कार्य संतोषप्रद ना होने पर संचालक, वाल्मी द्वारा संबंधित संस्था से कार्य हटाकर अन्य सूचीबद्ध संस्था को कार्य दिया जा सकेगा।
9. सूचीबद्धता की सूचना जारी होने के उपरांत संबंधित संस्था तथा संचालक, म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष की होगी जिसे आपसी सहमति एवं संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में आगे बढ़ाया जा सकेगा।

10. संस्थान में संस्था का सूचीबद्ध होना संबंधित संस्था को कार्य आवंटन की कोई गारंटी प्रदान नहीं करता है। कार्य का आवंटन संस्थान द्वारा उस विशेष कार्य में अनुभव रखने वाली संस्था को ही किया जायेगा। सूचीबद्ध संस्था के प्रयासों से प्राप्त प्रोजेक्ट एवं उनकी विशेषज्ञता के आधार पर ही कार्य आवंटन पर विचार किया जा सकेगा। कार्य संपादन की गतिविधियों में एकत्र किया डाटा संस्थान की संपत्ति होगी। संबंधित डाटा अथवा जानकारी का उपयोग/प्रकाशन वाल्मी की लिखित अनुमति के बिना निषिद्ध होगा।

परिशिष्ट-1

तकनीकी मूल्यांकन पत्रक

स.क्र.	विवरण	अधिकतम अंक	अंक दिये जाने का आधार		आवश्यक अभिलेख
			आधार	अंक	
1	संस्था का विगत तीन वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) का औसत टर्न ओवर	20	01 करोड़ से 05 करोड़ तक	10	ऑडिट रिपोर्ट की प्रति
			05 करोड़ से अधिक एवं 10 करोड़ तक	15	
			10 करोड़ से अधिक	20	
2	विगत तीन वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) में शासकीय विभागों में प्रशिक्षण, कौशल्य विकास कार्यों का अनुभव	15	01 से 02 विभागों तक	05	संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यादेश तथा संतुष्टि प्रमाण पत्र
			02 से अधिक एवं 06 विभागों तक	10	
			06 से अधिक विभागों में	15	
3	विगत तीन वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) में अनुसंधान / अध्ययन / परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के कार्यों का अनुभव	15	01 से 06 कार्य तक	05	प्राप्त कार्यादेशों के आधार पर किये गए अनुसंधान/अध्ययन कार्यों की रिपोर्ट का अवलोकन द्वारा सत्यापन
			07 से 12 कार्य तक	10	
			12 से अधिक कार्य	15	
4	संस्था के पास सर्वेक्षण कार्यों एवं रिपोर्ट लेखन का अनुभव	10	अनुभव नहीं है	0	विभागों से प्राप्त कार्यादेश तथा संतुष्टि प्रमाण पत्र
			01 से 06 कार्य तक	05	
			06 से अधिक	10	
5	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में किये गये प्रशिक्षण/अनुसंधान / अध्ययन कार्यों का अनुभव	05	अनुभव नहीं है	0	—
			05 वर्ष का अनुभव	05	
6	प्रशिक्षण अधोसंरचना की उपलब्धता	10	किराये की अधोसंरचना	05	
			स्वयं की अधोसंरचना	10	
7	म.प्र. में संस्था के पंजीकरण की अवधि	05	05 वर्ष से कम	0	संबंधित प्रमाण पत्र
			05 वर्ष या इससे अधिक	10	
8	प्रेजेन्टेशन	20	समिति द्वारा मूल्यांकन		
	योग	100			

कवरिंग लेटर का प्रारूप

सेवा में,

.....

.....

विषय :— प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान/अध्ययन एवं सर्वे कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संस्थाओं/ एजेन्सियों को पैनल में शामिल करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति।

महोदय,

उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रकाशित अभिरुचि आमंत्रण के जवाब में हम उपरोक्त प्रस्तावित कार्य को पूरा करने के लिए अभिरुचि व्यक्त करना चाहते हैं।

निर्देशानुसार हम निम्नलिखित दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में संलग्न है।

1. प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि की रसीद
2. प्रारूप "अ" सामान्य जानकारी
3. संस्था की के आयोजन में टर्न ओवर की जानकारी
4. शासकीय विभागों का विवरण जिसमें प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान/अध्ययन एवं सर्वे कार्यों का क्रियान्वयन करना
5. प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान/अध्ययन एवं सर्वे क्रियान्वयन के कार्यों का अनुभव

घोषणा

हम एतद् द्वारा पुष्टि करते हैं कि हम EOI में उल्लेखित सभी नियम और शर्तों से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं हम उस हिस्से से संबंधित कार्य करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए हम म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल द्वारा आवश्यक EOI जमा कर रहे हैं।

इसके साथ प्रदान की गई सभी जानकारी मेरी जानकारी में है और वास्तविक और सटीक है।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम और पता

तकनीकी निविदा प्रपत्र

प्रारूप "अ"

1. सामान्य जानकारी

क्र.	संस्थान सम्बन्धी जानकारी	विवरण	संलग्न अनिवार्य
1.1	संस्था का नाम		पंजीयन प्रमाण पत्र
1.2	संस्था का प्रकार (Nature)		पंजीयन प्रमाण पत्र
1.3	संस्था का गठन, दिनांक एवं वर्ष		पंजीयन प्रमाण पत्र
1.4	मुख्यालय का पता		
1.5	स्थानीय कार्यालय का पता/फोन नं./ई-मेल		
1.6	संस्था प्रमुख का नाम/पता/फोन नं./ई-मेल		
1.7	सम्पर्क हेतु अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पता/ फोन नं./ई-मेल		
1.8	पेन नम्बर/टेन नम्बर		संबंधित प्रमाण पत्र
1.9	जी.एस.टी. नम्बर		संबंधित प्रमाण पत्र
1.10	संस्थान के किसी भी शासकीय या अर्धशासकीय विभाग से ब्लैकलिस्टेड होने की जानकारी	ब्लैक लिस्टेड है / नहीं है	50 रु. के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट
1.11	कनफिलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट		100 रु. के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट
1.12	संस्था का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. सी. प्रमाण-पत्र (यदि आवेदक संस्था का किसी अन्य संस्था से अनुबंध है तो उसका विवरण)	प्रमाण पत्र क्र.	प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि

2. संस्था की प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान/अध्ययन, सर्वे एवं रिपोर्ट लेखन के आयोजन क्षेत्र में टर्नओवर की जानकारी

वर्ष	टर्नओवर (करोड़ में)

3. शासकीय विभागों का विवरण जिनमें प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान, परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन, सर्वे एवं रिपोर्ट लेखन के कार्यक्रम संचालित किया गया हो।

वर्ष	क्र.	विभाग का नाम	किये गये कार्य का विवरण

4. प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अनुसंधान, सर्वे, परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के कार्यों की जानकारी

क्र.	विषय	वर्ष	किये गये कार्य का विवरण

5. कौशल्य विकास प्रशिक्षण क्षेत्र में कार्य का अनुभव :—
(विगत 03 वर्षों का वर्षवार पृथक-पृथक शीट में)

- ग्रामीण विकास
- कृषि
- पंचायत
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- आजीविका

क्र.	कार्य का विषय	कार्य का वर्ष	कार्य की अवधि	कार्य प्रदाता का नाम

टीप :- उपरोक्त समस्त कार्यों की संतुष्टि का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

नॉन-ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट

50 रु. के स्टांप पेपर पर एफिडेविट

यह प्रमाणित करते हैं कि हम..... (एजेंसी का नाम) पंजीकृत.....
..... के तहत है। पंजीकरण संख्या.....घोषित करते हैं, और पुष्टि करते हैं कि हम
आज तक किसी भी मंत्रालय विभाग/बोर्ड निगम/केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य
संस्थान या किसी अर्द्ध-शासकीय या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी बैंक की या
किसी अन्य संस्थान द्वारा ना तो काली सूची में डाला गया है और ना ही दिवालिया है। यदि
इस EOI के तहत दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है, तो
एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और बिना किसी प्रश्न के द्वारा लिए गए निर्णय को
स्वीकार करेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम व पता

कनफिलक्ट ऑफ इंटररेस्ट

100 रु. के स्टांप पेपर पर एफिडेविट

यह प्रमाणित करते हैं कि हम,..... (एजेंसी का नाम) पंजीकृत
..... के तहत संख्या घोषित करते हैं कि, ना ही हमारी संस्था और ना ही
संस्थान का कोई भी सदस्य और संस्थान के सदस्य का कोई भी संबंधी, एसेसमेंट एजेंसी या
मॉनिटरिंग बॉडी में किसी भी तरह कार्यरत अथवा सहयोगी नहीं है। यदि इस EOI के तहत
दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है, तो एजेंसी पूरी तरह से
जिम्मेदार होगी और बिना किसी प्रश्न के म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल
द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम और पता